

LOTUS ISLE- SECTOR 79, NOIDA	
S.No.	Permission
1	<u>Noc for Height Clearance</u>
2	<u>Approval of Building Plans</u>
3	<u>Approval of Fire Fighting Scheme</u>
4	Territory Treated Effluent (Use of water for Construction)
5	Permission for temporary electrical connection
6	<u>Permission of Mining</u>
7	<u>Environmental Clearance</u>
8	Contractor Licence under contract Labour ACT (CLRA)
9	Registration Certificate under BOCW
10	<u>ESI Registration</u>
11	PF Registration
12	<u>GRIHA Registration</u>
13	<u>Structure approval</u>
14	<u>Geo location of the project</u>
15	<u>Swimming pool NOC</u>

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorized Signatory



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/IRHQ/NR/ATM/NOC/REVALIDATION/2012/11/931-351

Date: 01.06.2017

To
M/s Three C Properties Pvt. Ltd.
D-42, Sector-55, Noida
Uttar Pradesh-201301.

Sub: Renewal/Revalidation of NOC Case no. AAI/NOC/2012/11/7286-90 dated 19/20-03-2012.

Sir,

Reference may please be made to your NOC application no. Nil dated 26.05.2017 on the above mentioned subject.

The NOC issued by this office vide letter no. AAI/NOC/2012/11/7286-90 dated 19/20-03-2012, and Revised Height letter no. AAI/NOC/NR/2012/11/1203-1206 dated 26-02-2015, for construction of Building by M/s Three C Properties Pvt. Ltd. at location Plot No-H-10, Sector -98, Noida, UP, is hereby extended upto 19-03-2020 under same terms and conditions as mentioned in the NOC dated 19/20-03-2012.

The Validity will not be extended beyond 19-03-2020.

This issue with the approval of the Competent Authority.


01-06-2017

(G.P. Singh)
Deputy General Manager (ATM-NOC)
For General Manager (ATM), NR

Copy to:

1. The Executive Director (ASM), AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003.
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddian Bhawan, Terminal-3, IGI Airport, New Delhi-110037.
3. The Chief Architect Town Planner, (NOIDA), Main Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P).
4. Guard File

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory

अथ, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : 25652447 फ़ैक्स : 256564
Quarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 256564

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

स्वीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन संख्या-6 नोएडा (2080)

संख्या नोएडा/मुख्य/010/2015/IV - 1325/ 788

दिनांक:

13/05/2015

सेवा में,

M/s Three C Properties Pvt. Ltd.,
C - 23, Greater Kailash, Enclave Part -1,
New Delhi - 49.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15-04-2015 के संदर्भ में आपको द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एच - 10, सेक्टर - 92, नोएडा पर जमा कराये गये पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु भवन मानचित्रों की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्वाह अवधि होने की दशा में) तक दी है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वायत्त किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास करने हेतु कोई विकास लागू होगा तो वह किसी बिना आपत्ति के ऐसा होगा ।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाइन से पॉल फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकल्प विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

[REVISED PLAN]

M/s Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

10. सरलता पर अथवा बेका लेन में कोई रैम्प अथवा स्टेयर नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं गल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रयोक्ता) विभाग द्वारा करायेंगे एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी इसे ठहरेंगे।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वरतें पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता सिद्धि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिकतम प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समस्तपुष्टि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रयोक्ता नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेंगे।
15. सम्बन्धित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलॉजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावैस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
16. यह स्वीकृति प्राविधान भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा भूखण्डना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत तथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
17. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा भूखण्डना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में सम्पूर्ण परिसर के अन्तर्गत अनुमत्य क्रियाएं एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमत्य क्रियाएं एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
18. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
19. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तें एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना के क्रियान्वयन एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयवधि के अन्दर परियोजना पूर्ण करनी होगी।

[REVISED PLAN]

20. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाये तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, श्री.आई.एस./आई.एफ. के तहत सृजित होड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ निम्नानुसार उद्योग सम्बन्धीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।

21. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उच्च संरक्षण एवं वैकल्पिक ढांचों का उपयोग, जलपूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं नरक्षण, वृक्षारोपण/लैण्ड स्कोपिंग एवं सामाजिक दानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

22. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट आधारित आर्क के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन सभ्यता विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

23. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधाये, अवस्थापना सुविधाये, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवन आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुसंधान आवेदक संस्था को रख करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।

24. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लोड, सब लैटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आल्टिम नियमावली, लोड डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महसुल-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।

REVISED PLAN







25. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्षम व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के दृष्टिकोण आवश्यकतानुसार परिसर के रूप में विकसित एवं निर्माण किया जायेगा।
26. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य लिफ्ट्स कार्य, अवर-धापना सुविधाएँ, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, सेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
27. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।
28. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, गुजरात बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के अनुपालन में पर्यावरण निदेशालय, एओपी से पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रीयल भू-गर्भ कल प्राधिकरण की भू-गर्भ कल सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा तथा उचित दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नियमों / शर्तों / प्रतिबंधों का परियोजना के अन्तर्गत पूर्णतः पालन करना होगा।
29. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समस्त-समय पर संशोधनों तथा उचित मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकलेष्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह रचीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्त होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
30. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं० 21/2012 वर्धमान वीथिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं० 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का समर्थ पत्र भी प्रस्तुत करे।
31. आबंटी को क्रय योग्य एफ०ए०आर० की कुल धनराशि ₹ 29,48,23,027/- (रुपये उन्नीस करोड़, अड़तालीस लाख तीस हजार सत्ताइस मात्र) जमा कराने हेतु दिनांक 11.05.2015 को सूचित किया

REVISED PLAN



गया था, जिसके समक्ष में आवंटनी द्वारा रु० 15,00,00,000/- (सत्रे पन्नाह करोड़) जमा करा दिये गये हैं एवं शेष भनराशि रु० 14,48,23,027/- (सत्रे चौदह करोड़ अठ्ठातीस लाख बीस हजार सत्तर मात्र) को मानचित्र स्वीकृति से 90 दिन के अन्दर जमा कराने का अनुमति दिया है, जिसपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 30 दिन के अन्दर जमा कराने की अनुमति आवंटनी के पत्र (116/सी पर संलग्न) पर दिनांक 18.05.2015 को प्रदान की गयी है। अतः उक्त शेष भनराशि को आवंटनी द्वारा 30 दिन के अन्दर जमा कराना होगा अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः निरस्त होगी जायेगी।

32. उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व, अनुस्मरण का सम्बन्ध) अधिनियम-2010 की धारा - 12 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रारूप 'क' में घोषणा पत्र (deed of declaration) के सम्बन्ध में आवंटनी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवंटनी द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा अभी तक सर्वेक्षित अपार्टमेंट व ऑफिस स्पेस का विवरण नहीं किया गया है।

पुनरीक्षित मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन द्वारा मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिमोम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा दिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ला लीये।

भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	24,000.00 वर्ग मीटर
अनुमत्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 30%	=	7,200.00 वर्ग मीटर
अतिरिक्त अनुमत्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल (For MLC) @ 5%	=	1200.00 वर्ग मीटर
(पैरा नं० 24.4.1.3.XI page no. 2146)		
अतिरिक्त क्रय योग्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 5%	=	1200.00 वर्ग मीटर
कुल अनुमत्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल 40%	=	9600.00 वर्ग मीटर
कुल प्रस्तावित भू-आच्छादित क्षेत्रफल 38.12655%	=	9150.372 वर्ग मीटर
अनुमत्य एफ.ए.आर. @ 4.0	=	96,000.00 वर्ग मीटर
क्रय योग्य एफ.ए.आर. 0.50 %	=	12000.00 वर्ग मीटर
ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% के साथ	=	4800.00 वर्ग मीटर
कुल अनुमत्य एफ.ए.आर.	=	1,12,800.00 वर्ग मीटर
कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर.	=	1,12,404.128 वर्ग मीटर

[REVISED PLAN]

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory





सूचना-1		16899.80	16899.80	20195.16	20195.16
सूचना-2	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	10257.26	10257.26	11712.69	11712.69
सूचना-3	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	10707.04	10707.04	...	...
सूचना-4	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	1457.12	1457.12	889.77	889.77
सूचना-5	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	1058.43	1058.43	...	...
सूचना-6	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	...	...	12338.467	12338.467
सूचना-7	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	...	...	892.039	892.039
सूचना-8	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	...	...	23541.032	23541.032
सूचना-9	सिटी बैंक प्राइम का सहायक बैंक पोलिस	58.069.84	58.069.84	77.839.12	77.839.12
कुल पूरे स्वीकृत क्षेत्रफल (सहायक बैंक सहित)		= 1,13,638.22 + 58,069.84 = 1,71,708.06 वर्ग मीटर			
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल सहित सहायक बैंक		= 1,24,709.882 + 77,039.12 = 2,02,549.002 वर्ग मीटर			

- पूनर्निर्दिष्ट भू-आवक्यविश क्षेत्रफल = 9,150.372 वर्ग मी०
- पूनर्निर्दिष्ट एफओआर = 1,12,404.128 वर्ग मी०

Map for proposed Building in the City
Lands Department for Approval Process.

...

...

...

नाम ...
पद ...
...

प्रतिलिपि:

1. महानगरपालिका (वाणिज्यिक) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेटरी
स्टेट लेवल एन्वायरोन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, ४०९०
डायरेक्टरेट ऑफ एन्वायरोन्ट,
डॉ० भीमराज अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - १,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010, ४०९०
को सादर सूचनाार्थ ।

[REVISED PLAN]

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

आवास

सर्विस

उपपत्र

पत्रांक-15/जेडीओ/लखनऊ-15(जीएन)

दिनांक अप्रैल

21

2015

सेल में

मुख्य वास्तुविद् नियोजक,

नोरडा प्राधिकरण सेक्टर-8

अनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स श्री सी प्रोपर्टीज प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-एच0-10, सेक्टर-8, नोरडा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोटीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2015/8858/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1585/जेडी

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराने हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नोरडा पोस्ट-1 से कराया गया रहे। उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 10-04-2015 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई गई तथा उनके द्वारा आख्या को सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण एवं अपनी संस्तुति आख्या तत्परिदेशक फायर सर्विस मेरठ को प्रेषित की गयी। मानचित्रों एवं आख्याओं का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपरोक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया। विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना-प्लॉट एरिया-24,000.00 वर्ग मी0, प्रश्नगत भवन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या: 3-10/सीएचओ/जीबीएन-11(2)/1007 दिनांक: 1-12-2011 के माध्यम से 03 अग्रेस एवं एक होटल स्टाक के निर्माण हेतु प्रोटीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। वर्तमान में 02 अग्रेस एवं 03 आवासीय भवन प्रस्तावित हैं, जिनका एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	नाम टावर	तलों की संख्या	टिफिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई	ऊँचाई मीटर/म
1	टावर-ए0 (आवासीय)	02वेस+जी/एस+31	555.069	02 अदर 1.50/1.25	113.150
2	टावर-बी0 (आवासीय)	02वेस+जी/एस+31	538.068	02 अदर 1.50/1.25	113.150
3	टावर-सी0 (आवासीय)	02वेस+जी/एस+31	659.989	02 अदर 1.50/1.25	113.150
4	टावर-डी0 (कार्यालय)	02वेस+जी/एस+25	1445.520	02 अदर 1.80/1.80	201.450
5	टावर-ई (विश्वीय)	02वेस+जी/एस+24	2189.496	02 अदर 1.80/1.50	105.600

बेसमेंट:- प्रश्नगत भवन में 02 बेसमेंट जिसमें बेसमेंट प्रथम एरिया-20,135.116 वर्ग मी0, बेसमेंट द्वितीय एरिया-19,782.685 वर्ग मी0 प्रस्तावित है तथा बेसमेंट की स्लैब न्यूनतम 45 टन भार क्षमता का रखना अनिवार्य होगा।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग बिजनेस/आवासीय (एन0बी0सी0-2005 कार्यालय ई एवं ए0-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा प्रस्तावित भवन में पाँचवे तल तक गस्टीलेयल कार पार्किंग प्रस्तावित है।

संरचनागत व्यवस्था:-

1-फुल्ल मार्ग:- मुख्य द्वार के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 45 मी0 मानकों के अनुसार अंकित की गई है भवन विनियमकाली के मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 09.00 मीटर एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

3-सैटवेक:- प्रस्तावित भवन का सैटवेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमकाली मानकों के अनुसार है जो सतह एवं तलगत स्तर एवं आवासीय भवन रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का रेशाई/उपचार निर्माण कार्य अनुमत्त नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 08 मीटर का मोटेरेडुल हाई सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-मिकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में सारिकानुसार स्टेयर प्राविकल्पित है। मिकास मार्ग की फल्लो के समस्त स्थानों को ट्रेपेडिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्त सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन के मानचित्रों में रिफ्यूज एरिया का प्राविकल्प एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

5-अग्निशमन सुल्ला व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार विनियमित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना बाध्यकारी है।

6-भूमिगत-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु दो अदर भूमिगत टैंक 2,60,000 (दो लाख सैठार हजार लीटर) क्षमता का प्रत्येक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

- 2-पावर-प्रत्येक भूविगत टैंक के पास 2850 एम्पीयर/घंटा क्षमता के 02 अथवा कम पावर इतनी ही क्षमता का एक अथवा अधिक चाहित पावर तथा 01 अथवा अधिक पावर फायर हैड मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने बॉल्कनीय है जो मल्टीस्टेज मल्टीपरपज होंगे।
- 3-टैरिस टैंक-आईटीओ क्लस्टर की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 24,000 लीटर लीटर, एवं आवासीय टावरों की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 25,000 लीटर स्थापित करना जाना एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 4-होअरल-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होअरल एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 5-आउटडोर-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में आउटडोर का प्रविष्टान एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 6-वेटराईजर-प्रस्तावित भवन में 180 एम्पीयर का वेटराईजर एनडीओसीओ एवं मासिक मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 7-गार्ड हाईड्रेण्ट-प्रस्तावित भवन में 100 एम्पीयर का वेटराईजर का प्रविष्टान तथा उस का गार्ड हाईड्रेण्ट एवं फायर सर्किल इन्वेंट का मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 8-ऑटोमैटिक सिस्टर सिस्टम-समस्त टावरों के सम्पूर्ण भवन में ऑटोमैटिक सिस्टर सिस्टम एनडीओसीओ एवं सम्बंधित मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 9-ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-प्रस्तावित भवन में सम्पूर्ण तल पर ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 10-मैन्युअल आउटलेट इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम-सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैन्युअल आउटलेट इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 11-प्रतिशमन उपकरण (फायर एक्स्टिंग्यूइशर)-प्रस्तावित भवन में निर्माण के समयका फायर एक्स्टिंग्यूइशर आईएसओ-218 के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन-प्रस्तावित भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 13-प्रेशरइजेशन-प्रस्तावित भवन में प्रेशरइजेशन सिस्टम एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 14-एग्जिट साईनेज-सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 15-पीएओ सिस्टम-सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पीएओ सिस्टम एनडीओसीओ मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 16-प्रतिशमन स्टॉक-प्रस्तावित भवन में अधिकारिता अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दल कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर अग्निशमन एनडीओसीओ-2005 के प्रस्तर सीओ-6 के अनुसार निवृत्त किया जाना बॉल्कनीय है।
- 17-हैल्लो-प्रस्तावित भवन में हैल्लो के अनुसार हैल्लो की व्यवस्था एनडीओसीओ के अनुसार बॉल्कनीय है।
- 18-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था-प्रस्तावित भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिकारित करने वाले के समयका एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को निवृत्त अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानकों के अनुसार बॉल्कनीय है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखे जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुकरण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार बॉल्कनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कसया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स श्री सी प्रोपर्टीज प्राो लिमिटेड द्वारा प्लॉट नं०-एच०-10, सेक्टर-98, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित कार्यालय एवं आवासीय भवन को निर्माण हेतु प्रोवीजन्स अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निगम की जाती है कि अपेक्षित द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपदिशि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन को निर्माणोपशन्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से करवाकर रथाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्माण किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- संलग्नक अनुमोदित मानचित्र अदर।

(108 सेक्टर 98)
 नगर निगम, नौएडा
 नगर विकास अधिकारी
 नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर
 20/05/2020, नौएडा

- प्रतिलिपि: 1-उपनिवेशक, नौएडा सर्विस मेरिट संरक्षित को सूचनाार्थ।
 2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ।
 3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-1, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 4-मैसर्स श्री सी प्रोपर्टीज प्राो लिमिटेड द्वारा प्लॉट नं०-एच०-10, सेक्टर-98, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुमोदनाार्थ।

THREE C PROPERTIES PVT LTD

D-107, PANCHSHEEL ENCLAVE, NEW DELHI - 110017 DELHI-110048 C.N. 570200 P.L.0109 P.C.105056

Date - 06/4/17

To

Project Engineer (JAL)
Sector-05, Noida-201301
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh

Subject: Request letter for supply of STP Water for Construction purpose.

Respected Sir,

This is with respect to notification issued regarding an embargo by the green tribunal on the usage of the ground water for the construction purpose.

We are requesting you to kindly consider our application for supplying us the STP water for our site at the address as under:

Name & Address of Organization

Three C Properties Pvt Ltd
D-107, Panchsheel Enclave,
New Delhi-110017

Our Daily requirement of STP water is:

30 kilo litres (30,000 Litres) per day

Name & Address of the Site

Lotus Isle
Plot No H-10, Sector-98, Noida Uttar Pradesh

Our preferable STP location is: STP Sector-50, Noida

We are submitting you the charges for the period for three months April - June, 2017) herewith and the further charges would be paid as per the further requirement.

Looking forward for your kind approval

With Thanks & Regards

For Three C Properties Pvt Ltd

Authorized Signatory

Enclosed

" Demand Draft No 931718
Dated 04-04-2017

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorized Signatory

YES BANK LTD.

DEMAND DRAFT

BRANCH, DELHI

TO THE ORDER OF THE ACCOUNTS DEPARTMENT

CHARTERED ACCOUNTANTS, 10/15, 1st Floor,

10/15, 1st Floor, 10/15, 1st Floor,

001613016007

0 4 0 4 2 0 2 7
D D M M Y Y

NOKIA

at Order

IN THE SUM OF

THIRTY THOUSAND ONLY.

10,000.00

YES BANK LTD

SECTOR 19, NOIDA

ISSUE BANK AND BRANCH



SOUTH EXTENSION, DELHI

ISSUING BANK AND BRANCH

For YES BANK LTD.

[Signature]

AUTHORISED SIGNATORY(IES)

193471811 000530000

15



New Okhla Industrial Development Authority Noida

Sewage Treatment Plant Sector 50
Book No. 29
Receipt No. 1443 Dated 7/4/17
Received from M/s. Three C Properties Pvt. Ltd.
Project: 1 Plot No. 71-10 Sector 98, Noida

the sum of Rs. (In words) Forty Thousand only. on account of treated sewage water for construction purpose, as per terms & conditions overleaf.

{Quantity of Sewage treated water = 6000 KLRs 50 KLRs = Rs. 30,000/-}

Detail of Deposit

1. D.D. No. 931718 Date: 04-04-17
2. Name of Bank - Yes Bank
3. D.D. Amount 30,000/-

Above mention D.D. received by me


Divisional Accountant


Authority Signatory
Noida Authority

For Three C Properties Pvt. Ltd.


Director/Authorised Signatory

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल
नोएडा

पत्रांक: / विनविम/ नो/ एस- 5/ तक0

दिनांक :

कार्यालय आदेश

उ0 प्र0 वितरण कोड-2005 (विद्युत आपूर्ति संहिता-2005) की धारा-4.10 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में M/S Three C Properties (P) Ltd., H-10, Sector-98, Noida जनपद गौतम बुद्ध नगर के पक्ष में 200 किलोवाट (नया) के अस्थायी विद्युत संयोजन निर्गत होने के लिथि से आगामी छः माह की अवधि के लिए अस्थायी विद्युत भार एतद् द्वारा इरा प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उ0प्र0 वितरण कोड-2005 एवं लागू सभी निगमादेश को संज्ञान में लेते हुए उपभोक्ता से वांछित राशि जमा कराने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करेंगे।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, नोएडा द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए वांछित प्राक्कलन राशि एवं सुरक्षा राशि आदि जमा कराने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करेंगे एवं प्रत्येक माह रेट शडयूल एल0एम0पी0-9 के अनुसार बिल निर्गत कर भुगतान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, नोएडा, मानचित्रक, अनुबन्ध लिपिक एवं बिलिंग लिपिक का दायित्व होगा कि वे कुल विद्युत भार के सापेक्ष एक मुश्त सिम्योरेटी की धनराशि विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

मुकुल सिंघल
अधीक्षण अभियन्ता

पत्र संख्या: 5144 / तद दिनांक : 20/10/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, नोएडा।
02. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, नोएडा।
03. उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड-दसम, नोएडा।
04. श्री विपिन वैश्य, आशुलिपिक, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
05. M/S Three C Properties (P) Ltd., H-10, Sector-98, Noida.

पत्र संख्या: 488335

परिचय: विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ

खण्ड का नाम: E.E./E.U.D. Sector-98, Noida

(1) उपभोक्ता का नाम व पता: M-10, Sector-98, Noida

(2) अफाइनट आईडी: 30000

(3) नुक संख्या: 30000

(4) सर्विस कनेक्शन संख्या: 30000

(5) प्राप्त भुगतान (अर्को): 30000

(6) (शब्दों में): 30000

(7) मर (1): 30000

(8): 30000

(9): 30000

(10): 30000

कुल योग: 30000

स्थान: EUDCNoida

दिनांक: 20/10/16

नोट: उपभोक्ता को यह सूचित किया जाता है कि यह रसीद अद्यतन जारी की गई है।
यदि आप अपने भुगतान की जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए अपने अधिकारी से संपर्क करें।
यदि आप उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें: 18001200000

रसीद संख्या: 205

द्वितीय प्रति उपभोक्ता प्रयोग हेतु

प्रत्येक भुगतान को अनुसूचित करें

(मुकुल सिंघल)
अधीक्षण अभियन्ता

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY URBAN DISTRIBUTION DIVISION-III,**

Sector-16A, Noida (Gautam Buddha Nagar)

Priority No. 3410 EUDD-III/N/TC

Dated 28/9/16

TERMS & CONDITIONS

(LMV-9, Temp Connection)

**M/s Three C Properties Pvt. Ltd.,
Plot No.- H-10, Sector-98,
Noida.**

Dear Sir,

It is to inform you that 200 KW Temporary load has been sanctioned in your name vide sanction O.M. No. 3144/SEUDDC/Noida dated 21.09.2016 Sheet/ Plot No.- H-10, Sector-98, Noida for the period of 6 months. You may please attend in the office of the undersigned at 33/11 KV Sub Station, Sector-16A, Noida on any working days between 11 hrs. to 13 hrs. for execution of agreement along with two witnesses, Draft of amount and documents. The following amount shall be paid by the consumer on priority. The validity will be 03 month from the issue date of T&C and after 03 month load will be treated as cancelled.

I. AMOUNT OF CONNECTION CHARGES:

Sl. No.	Temporary Connection Charges	Amount (in Rs.)
1.	Processing Fee	0.00
	Fix Line Charges	433581.00
	Security Charges	1248800.00
	E.C. Advance @ Rs. 841/KW/Month	1012800.00
	Total	2695181.00
2.	Service Tax @ 15%	54084.00

नोट:- उपरोक्त अवशेषों को अलग अलग बैंक ड्राफ्ट से/नकद जमा करें।

2. Non judicial stamp paper worth Rs. 100/- of U.P. Government in your favor.

3. Revenue stamp of Rs. 1.00.

4. Power of Attorney, Affidavit, A Copy of Partnership Deed/Articles memorandum along with a resolution of Board of Directors of the Company and SSI copy.

5. B&L Form the approved contractor who has done the electric wiring and installation work.

6. A Copy of treasury challan of U.P. Govt. for Rs. 3200.00 of Motor Inspection fees under the head 0043 (वर्क ऑन मीटर) कर और शुल्क 102 मालीय विभाग द्वारा के अर्थात् फीस। Final Priority of giving connection is allotted after completion of all formalities by the consumer.

7. Receipt of Shunt Capacitor 100 KVAR & suitable size MCB.

8. Two attested photos of authorized person.

Notes:- 1. For any correspondence please quote the above priority No.

2. Amount will be accepted in the form of demand draft payable at Noida in the Name of E.E. EUDD-III, Noida.

3. These terms can be revised by the Board at any time without assigning any reasons there of.

4. The Meter Room of size 10X10 should be constructed at the main gate of the premises.

5. Subject to adjustment of the cost of able material received back after deducting 10% depreciation against line charge for temporary connection.

6. Cable shall be provided by the consumer & work shall be completed by the consumer.

7. Meter shall be provided by the department.

8. Meter Board shall be provided by the consumer for load upto 24 KW.

Priority No.

Dated 28/9/16

EXECUTIVE ENGINEER

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. S.E., Electy. Urban Distribution Circle, Noida.
2. Sub Divisional Officer, Electricity Urban Distribution Sub-Division-N, Noida
3. BC (Temp. Billing)

EXECUTIVE ENGINEER

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory

सेसमेंट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु अनुमति-पत्र

मे 0 श्रीरॉड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं० 23 ग्रेटर कोलारा एलिवेट पार्क 01 माई दिल्ली द्वारा प्लॉट नं०-एच-10 सैक्टर-98 गौएडा जनपद गोतामबुद्धनगर क्षेत्र में उपखनिज की निकासी के लिए अनुमति-पत्र देना का निर्णय प्रमाणित किया है। आवेदक द्वारा 5837 वर्गमीटर सेसमेंट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई 08 मीटर है, जिसकी प्रमाण 01 मीटर गहराई तक 5837 वर्गमीटर साठ मिट्टी का खनन प्रस्तावित है जिसकी तालमज रायल्ली दर रु० 14 प्रति वर्गमीटर की दर से रायल्ली अलग रु० 81,718/- एवं शेष 07 मीटर गहराई तक 40859 वर्गमीटर साठमज रायल्ली का खनन किया जायेगा जिसकी तालमज रायल्ली दर रु० 33/- प्रति वर्गमीटर की दर से रायल्ली रु० 13,48,347/- होती है। इस प्रकार कुल रायल्ली रु० 14,30,065/- का भुगतान कर दिया गया है। एलिवेट पार्क में उपखनिज निकासी के लिए गोतामबुद्धनगर के आदेश दिनांक 16.06.2014 द्वारा आज से 03 माह की अवधि के भीतर निर्माणाधीन शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

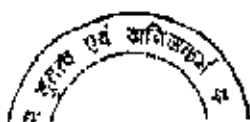
क्रम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	सेसमेंट ऐरिया का विवरण
1	दादरी	प्लॉट नं०-एच-10 सैक्टर-98 गौएडा जनपद गोतामबुद्धनगर	उक्त प्लॉट का सेसमेंट ऐरिया 5837 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 8.00 मीटर है।

स्थान गोतामबुद्धनगर

दिनांक 19/06/2014 से 18/09/2014 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार का किसी भीतर पत्र के तहत की शर्तपूर्व करता रहना और इस पत्र के दावे को उसके अन्तर्गत नहीं हो स्वयं निर्दिष्ट करेगा।
2. अनुमति धारक एसी शर्तों से खनिज निकालना जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन या मृदाई सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसी क्षति न पहुँचे।
3. अनुमति धारक सड़क किनारे गये सभी खनिजों का सस्ता खोला और एतदर्थ प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1962 के तहत की निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन डिपॉजिटिंग (खनन कार्यक्षेत्र) द्वारा निर्मित प्रपत्र संख्या 14 मा 11 किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि को भी पूर्व में परिणत होगी।
6. प्रपत्र 07 में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम-11 की बुक को प्रयोग करने को सुरक्षित बांध कार्यालय प्रतिष्ठा एवं अवशेष एमएम-11 कार्यालय में जमा करायें तथा खनन स्थल से निकलने वाले बाह्य खनिज को विद्यमान से डककरी की शहर में अलग परिवहन करें।
8. सेसमेंट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुस्थापक अथवा रेजिस्ट्रार जनरल द्वारा इस प्रकार से किया जायेगा कि सभीभूमी भू-भाग अथवा खनन व कार्यक्षेत्र भू-भाग को खनिज न पहुँचे और यदि शर्तों होती हैं तो उसके समस्त भुगतान आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्ली का आकलन किया जायेगा जो आवेदक को प्रतिस्था रायल्ली के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाता है तो पर्यावरण निदेशालय, उद्योग व रक्षा संख्या 2567/3510/एसओईएससी/साधारण मिट्टी खनन/2012 में दिये गये हिन्दू संरक्षण-6 में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा 0 खनिज कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करेगा एवं एवं भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकग्नाइज्ड) वन (साई वड जार्विल या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. खनन निरीक्षण द्वारा सत्यापन करते वह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज से जाने के लिये जारी किये गये खनन का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा सके है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस भू-स्थल हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-स्थल से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये खनन का प्रयोग किसी और जगह से अतिरिक्त रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जायेगा है तो अतिरिक्त उक्त गैर विधिक कार्य करने वाली के निरुद्ध एफओआईआर दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को रीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय तारक फोर्स द्वारा आधिकार्य रूप में हर रायदा निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित तारक फोर्स सक्षम पर खनन की जा रही खनिज (Minerals) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अफन भी करेगी अर्थात् तारक फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई को जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये रायफल एवं गहराई की मात्रा से खनन अधिक हो तो अनुमति रद्द की जायेगी।



For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

14. शासन द्वारा निर्धारित समय शर्तों के अधीन जिन आवेदनकर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शर्त प्रतिशत सफलता जमा करके नियमानुसार उक्त वेस्टमेंट की खनिज की गिरावटी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा विपरीत तरह का प्रयास या भ्रम उत्पत्ति या भ्रष्टाचार जैसी अपेक्षित वस्तुओं की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या सूचना द्वारा किये जा रहे निरन्तर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अधिलेख प्राथमिकी दर्ज कराये जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा खनन या प्रयास अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराये जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर सरकार अतिरिक्त आवश्यक वसततक कार्यवाही करके की जिम्मेदारी सम्बन्धित शान्तप्रदेश की होगी।
15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उक्त विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में भेदित किया जायेगा निरन्तर निरीक्षण समय समय पर टारक फोरें एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निरीक्षकों के पत्र संख्या 904/एसटी0-डी0एस0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एसटी0-डी0एस0 /2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कसूर से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजना किये जाने वाले कर्मचारियों का संचय सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजना नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजना किये गये कर्मचारी कोई बुरा या खराब कार्य करने वाले हों हुए पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठीकदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उक्त शर्तों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अनुसृत कार्य न करके शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा सफलता राज्य सरकार के पास में जमा कर ली जायेगी।

19.6.14
खान निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक 1833/खान निरीक्षण/2014 दिनांक 20/06/2014
प्रतिनिधि

1. निदेशक भूखण्ड एवं खनिज निरीक्षण, उदयपुर, खनिज भंडार, खनिज।
2. प्रयास अधिकारी खनिज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक- 904/एसटी0/दिनांक-25.03.2014 द्वारा विहित टारक फोरें के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबंधों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करे।
4. खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुमति पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
5. शान्तिप्रदेश, शान्त गौतमबुद्धनगर।
6. मै0 श्री0एस0 प्रोपटीज प्रा0लि0 पता-सी0 23 गेट नं0 कैलाश एल0म फार्म-01 नई दिल्ली द्वारा फ्लाट नं0-एच-10, सेक्टर-28 नईएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

खान निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।



For Three C Properties Pvt. Ltd.

(Signature)

Director/Authorised Signatory

• • 1 21

ਗੁਰੂਗੋ ਗਲ਼ ਘੁਰੀਏ

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|^2 + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v\|^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|^2 + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v\|^2$$

925

-

Director/Authorised Signatory

ਗੁਰਿ ਭਾਗੁ ਭੀਖੈ

संज्ञानाः विचारः

2408

-

Director/Authorised Signatory

14. भवन का निर्धारित समस्त भागों के अतिरिक्त अर्द्धद्वय भागों को अनुमति मिली है उसकी विवेचना देखी कि जिसका मर्यादा तथा विवरण मर्यादा अनुमति मिली है और जिस अनिवार्य अनुमति मिली है उसकी भाग विशेषता देखी उसका करके विवरणानुसार तथा मर्यादा की विवेचना करके इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति/अधिकारी/कार्यवाही द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धमकी या दुरुपयोग जैसी अरुण वस्तुओं की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा अनन्य अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा और सूचना या सूचना प्राप्त होने पर तब निरंतर निरीक्षण के आधार पर अनन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी दर्ज नसीब जायेगी। अनन्य अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा अनन्य या अनन्य अधिकारी अनन्य के सम्बन्ध से प्राथमिकी दर्ज करके कार्यवाही करके प्राथमिकी दर्ज कर उपरान्त अनिवार्य आचरण करके आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित मूल्यांकन से निवेदित गरीब खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उक्त निवेदन सम्बन्धित मूल्यांकन सूचना द्वारा प्राप्ति के आधार पर निवेदन किया जायेगा जिसका निवेदन अनन्य पर लागू फीस एवं अनन्य अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निवेदनकारी के पास संख्या 904/एनडीओ-डीओएन/2014 दिनांक 25.3.2014 एच एच संख्या 910/एनडीओ-डीओएन/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मुझे वाचस्पत्य होगा कि वह अपने द्वारा खोजित किसे अपने वाले कार्यवाहियों का चरित्र स्थापित करके तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में जोड़ित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी वाचस्पत्य होगा कि यदि उसके द्वारा खोजित कोई कार्यवाही कोई गृह या भवन का सम्बन्ध करके दुरुपयोग जाता है, तो ऐसे कार्यवाही का कृष्ण केन्द्रों का कृष्ण सम्पदा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के तत्सम्बन्ध के अन्तर्गत पर एनके निरन्तर निगरानुसार उक्त शर्तों का पालन के सम्बन्धित प्रवर्तित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों को अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जहाँ तक संभव हो सके तब तक सरकार के पक्ष में अदालत की जायेगी।

(अ. ११/११/११)
जिला अनन्य अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

आचार्य जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर;
पत्रांक ३३/११/खनिज/२०१५ दिनांक २३/०४/१५

1. निवेदन, मूल्यांकन एवं खनिज निवेदन, २०१०, खनिज अनन्य, सम्पदा।
2. फणी अधिकारी खनिज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निवेदन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. एम जिलाधिकारी नारसी/डीओएन/जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुमति के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय को पत्रांक ९०४/एनडीओ/निर्देश २५.०३.२०१४ द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रवर्तकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. जिला अनन्य अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आदेश के प्रेषित कि अनुमति पत्र में स्वीकृत के दौरान सम्पदा अनारत पर निरीक्षण कर आचरण करके निवेदन कार्यवाही सुनिश्चित करा करे।
6. M/s Three C Properties Pvt.Ltd पत्रांक- सी-२३ गेटर कैलाश एच.एल.ए. फार्म-०१ नई चेल्सी द्वारा ज्ञात १०-एच-१० सेक्टर-१८ नई चेल्सी, जिला गौतमबुद्धनगर।



जिला अनन्य अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

(अ. ११/११/११)

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Uploaded on

www.seiaaup.in

Directorate of Environment, U.P.

Vicent Khaddi-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Phone: VI-223-3300 541, Fax: VI-512-2390 543

E-mail: deaup@rediffmail.com

Website: www.seiaaup.in, www.seiaaup.com

To,

Mr. Vinod Kumar Goyal,
Executive Vice President-Technical,
M/s Three C Properties Pvt. Ltd.,
C-22/28, Sector-57,
Noida, U.P.-201301

Ref. No. 1692/Parys/SEAC/2860/2015/DDY

Dated: 06 January, 2016

Sub: Environmental clearance for Revision Cum Expansion of Commercial Complex "LOTUS ISLE" at Plot No-H-10, Sector-98, Noida, U.P., M/s Three C Properties Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 18/02/2015, 08/07/2015 and 14/08/2015 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meetings dated 19/06/2015 and 31/10/2015.

A presentation was made by Shri Vinod Goyal, project proponent along with their consultant M/s Ascenso Enviro Private Limited. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1. The environmental clearance is sought for Revision cum Expansion of Commercial Complex "Lotus ISLE" at Plot No-H-10, Sector-98, Noida, U.P. M/s Three C Properties Pvt. Ltd.
2. Comparative salient features details for earlier and expansion project:

S. No.	Particulars	As per approved EC Dated 12 October, 2013	As per revised proposal	Change in Percentage
1.	Total Plot Area	24,000 sqm	24,000 sqm	No Change
	Permissible Ground Coverage	---	9,600 sqm (40%) (including additional permissible Ground coverage @ 5% of total plot area and additional purchasable ground coverage @ 5% of total plot area)	---
2.	Proposed Ground Coverage	7,105 (29.98%)	9,150.37 (38.13%)	27 % increase
3.	Total Permissible FAR	---	1,12,400 sqm @ 4.7 (Including Permissible FAR @ 4, Additional 5% of permissible FAR for green building and Additional Purchasable FAR @ 0.5)	---
4.	Proposed FAR	1,05,000 sq m @ 4.4	1,12,404.12 sq m @ 4.68	6.4% increase
5.	Landscape area	12,958.4 sqm	9,027.8 sq m	30% decrease
6.	Open area	16,805 sq. m.	14,849.03 sq. m.	11.63 % decrease
7.	Build Up area	1,72,652 sq m	202,549.0 sq m	17.31 % increase
8.	Population	13,081 (including 1488 Guest population, 10588 Staff population and 1010 visitors population)	9,536 (including, residential, official, visitors, club population)	27% decrease
9.	Total water requirement	1,135 KLD	576 KLD	49% decrease
10.	Fresh water requirement	580 KLD	319 KLD	45% decrease
11.	Total waste water generation	590 KLD	366 KLD	38% decrease
12.	STP	MBBR (700 KLD)	MBBR (470 KLD)	33 % decrease
13.	MSW Generation	5,119 kg/day	1,851.2 kg/day	63% decrease
14.	Parking Proposed	2,608 ECS	2,735 ECS	16% increase

3. Comparative building block details for earlier and expansion project:

Revision Cum expansion						
S. No.	Tower no.	No. of Floors	No. of Shops/Rooms	Tower no.	No. of Floors	No. of Units
1	Basement -3	---	---	1 Basement/Upper Basement area	---	---

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

2	Basement -2	---	---	2	Basement/Lower Basement area	---	---
3	Basement -1	---	---	3	Sub Podium	---	---
4	Office Building 1	G+8	615	4	Club	1 st Podium	---
5	Office Building 2	G+21	---	5	Office Tower E	G+24	---
6	Office Building 3	G+17	---	6	Office Tower D	G+23	---
7	Hotel	G+14	204	7	Residential Tower-C	G+31	DU = 83 No. of servant room = 83
8	---	---	---	8	Residential Tower-B	G+31	DU = 83 No. of servant room = 83
9	---	---	---	9	Residential Tower-A	G+31	DU = 83 No. of servant room = 83
10	Swimming Pool	---	---	10	Swimming Pool	---	---

4. Area statement details for expansion project:

S. No.	Particulars	Total Area in Sq.m.	Percentage
1	Plot area	24,000.00	---
2	Permissible ground coverage	7,200.00	30% of plot area
3	Additional Permissible Ground Coverage for MLCP	1,200.00	5% of total plot area
4	Additional Purchasable Ground Coverage	1,200.00	5% of total plot area
5	Proposed ground coverage @	9,180.37	38.13% of plot area
6	Permissible FAR	96,000.00	400% of Plot area
7	Additional Green Building	4,800.00	5% of permissible FAR
8	Additional Purchasable FAR	12,000.00	50% of plot Area
9	Total Permissible FAR	112,800.00	470% of Plot area
10	Proposed FAR	112,484.13	468% of plot area
11	Permissible service area 13%	14,400.00	13% of Permissible FAR
12	Proposed Service area @ 12.81% of Total F.A.R	12,385.76	12.81% of Permissible FAR
13	Service Floor Area	889.77	0.98% of Non FAR
14	1st Basement/Lower Basement area	20193.136	22% of Non FAR
15	2nd Basement/Lower Basement Area	19782.693	21.9% of Non FAR
16	Sub Area/Podium-1 Floor Area	12336.467	13.68% of Non FAR
17	Sub Area/Podium-2 Floor Area	992.039	1.1% of Non FAR
18	1st to 3rd Floor MLCP Area	23641.032	26.22% of Non FAR
19	Total Non-FAR area (12+13+14+15+16+17+18)	90,144.87	375.6% of Plot area
20	Open area	14,849.63	61.87% of Plot area
21	Green area required 30% of open area	7,424.81	30.93% of Plot area
22	Green area provided @ 60.79% of open area	9,027.83	37.61% of Plot area
	a.) Green belt @ 39.87% of total landscape area	3,600.0	15% of Plot area
	b.) Lawn area @ 60.12% of total landscape area or	5427.82	22.61% of Plot area
23	Paved Area	5,821.80	24.25% of Plot area
24	Built up area (10+19)	202,549.00	---

5. Salient features details of proposed expansion project:

1.	Name and Location of the Project	Revision own Expansion of Proposed Commercial Complex "LARAS 181, E" in Plot no. H-010, Sector 98, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
2.	Developers of the project	M/s. Thrice C Properties Pvt. Ltd.
3.	Coordinate of project site	Latitude: 28°31'34.92"N Longitude: 77°21'42.66"E
4.	Total Plot Area	24,000 Sq.m.
5.	Built-up Area (FAR + Non-FAR)	202,549.00 Sq.m (revised)
6.	No. of Dwelling Units Proposed	235 (revised)
7.	Total Population	9,336 (revised)
8.	Total Water Consumption & Source	176.0 KLD (Source: Municipal Water Supply) (revised)
9.	Total Freshwater Requirement	319 KLD (revised)
10.	STP Capacity & Technology	470 KLD, Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) (revised)
11.	Power Requirement & Source	16,478.75 KVA (Source: Uttar Pradesh Power Corporation Ltd) (revised)
12.	Power Backup	11 DG sets of total capacity of 12,290 KVA (2*1250 + 1*750 + 3*1500 + 4*1010 + 1*500) (revised)
13.	Total Parking provided	2,735 ECS (revised)
14.	Solid Waste Generated	1,851,218 Kg/day (revised)
15.	No. of RWH Pits	6 Pits (revised)

For Thrice C Properties Pvt. Ltd.,

Director/Authorised Signatory

6. Water requirement details for expansion project:

S. N.	Description	Area in Sq m	Population	Unit water consumption (litres)	Total water required (KLD)	Water requirement for domestic use (KLD)	Flushing/ Recycled water (KLD)
1	Residential Tower- A, B, C (Dwelling units)		1,148	86	98.6	74.5	24.0
2	Residential Tower- A, B, C (Servant Rooms)		255	86	21.9	16.5	5.3
3	Office Tower-D & E		6,757	45	304.0	202.6	101.3
4	Club Population		833	15	12.5	2.5	5.0
5	Visitor		454	15	6.8	4.0	2.7
6	Staff		89.9	45	4.04	2.6	1.3
7	Horticulture	9,027.83		3	27.6		
8	Swimming Pool				5.0		
9	DG Cooling				89.9		
10	For Fire Fighting			1% of total water requirement	5.7		
	Sub Total				575.7	308.1	139.8
				say	576.0	308.0	140.0

7. Solid waste generation details:

Category of Solid Waste	Waste Generation Rate	Formula	Total Population	Waste Generated (kg/day)
Residential Tower A, B, C (Servant + Dwelling unit population)	0.3 to 0.6 kg/cap/day	Total Population*0.45	1,403	631.1
Office Tower	0.1 to 0.3 kg/cap/day	Total Population*0.15	6,756.5	1013.4
Club Population	0.1 to 0.3 kg/cap/day	Total Population*0.15	833.3	125.0
Visitor	0.1 to 0.3 kg/cap/day	Total Population*0.15	454.1	68.1
Staff	0.1 to 0.3 kg/cap/day	Total Population*0.15	89.9	13.4
Total				1,851.21

8. The project proposal falls under category 8(b) of EIA Notification, 2006 (as amended).

The project proponent informed that construction regarding tower-A, B, C & D has been started whereas regarding tower-E where expansion is proposed, no construction work has been started. The committee discussed the matter and directed the project proponent to provide construction status against the earlier EC issued by SEIAA and to confirm that no construction has been started on the towers/blocks where expansion is being proposed. Also, reasons should be sighted wherever changes in area are being proposed. The project proponent submitted following details in the regard:

S. N.	Tower No.		Present Status	Existing Storey	Revision cum Expansion Storey	FAR Area (Area in sq. m.)		Construction status of Expansion Area
	Existing	Revision cum Expansion				Existing	Revision cum Expansion	
1	Service Apartments-1	Residential Tower A	Only basements excavated	G+13	S+31	8,524.72	14,713.00	72.59 % increase and no construction in expansion area has been done
2	Service Apartments-2	Residential Tower B	Only basements excavated	G+13	S+31	8,524.72	14,134.80	65.81 % increase and no construction in expansion area has been done
3	Hotel	Residential Tower C	Only basements excavated	G+14	S+31	15,564.01	14,740.96	5.28 % decrease and no construction in expansion area has been done
4	Office Building-1	Office Tower D	Basements excavated along with 7 floors	D+21	S+25	41,301.60	30,655.31	25.75% decrease and no construction in expansion area has been done



File No. U/Properties/Pvt. Ltd.

[Signature]
Director, Environment Department

22. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
 23. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
 24. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
 25. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
 26. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
 27. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
 28. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
 29. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
 30. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
 31. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
 32. Educate citizens and other stake-holders by putting up boardings at different places to create environmental awareness.
 33. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
 34. Prepare and present disaster management plan.
 35. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
 36. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
 37. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
 38. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
 39. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
 40. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
 41. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
 42. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
 43. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority.
 44. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or shops in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
- It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
46. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.



For Project Proposer Pvt. Ltd.

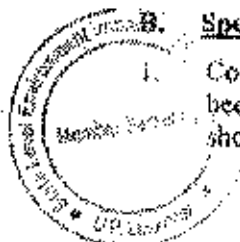
Q-2

Project Proposer Pvt. Ltd.

47. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
48. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
49. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
50. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
51. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
52. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
53. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
54. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
55. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
56. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
57. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
58. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
59. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
60. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
61. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
62. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
63. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
64. Dispensary for first aid shall be provided.
65. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
66. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
67. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
68. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
69. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
70. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
71. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
72. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
73. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
74. Plan for safe disposal of R.O. reject is to be submitted.

Specific Conditions:

1. Construction under expansion proposal shall only be allowed in the towers where no construction has been started. No extra floors to be added on already constructed towers. Affidavit in this regard should also be submitted.



For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

2. Provision of setback on all sides should be made as per Development Authority bye-laws.
3. Municipal solid waste shall be disposed/managed as per Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 (as amended).
4. 63 m peripheral green shall be provided around the project inside the project boundary.
5. 15% area of the total plot area shall be compulsorily made available for the green belt development including the peripheral green belt.
6. Project falling within 10 Km. area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
7. Criteria/ norms provided by competent Authority regarding the seismic zone be followed for construction work. Provision of alarm system, to timely notify the residents, in case of occurrence of earthquake/other natural disasters/fire should be provided. A well defined evacuation plan should also be prepared and regular mock drills should be arranged for the residents. Rise of stairs should be constructed in a way, so that it should provide smooth movement.
8. For the treatment for total sewage, a full-fledged STP is to be provided with 20% more capacity than waste water generated during operation phase. 100% waste water is to be treated in captive STP conforming to prescribed standards of receiving body for designated use. Monitoring of STP to be done daily till its stabilization.
9. Dual plumbing should be adopted. Recycling of water as proposed shall be undertaken with regular testing and monitoring of treated water.
10. Dedicated power supply for STPs is to be ensured during operation. Sludge of STP is to be used in-house as manure and surplus manure should be managed by giving it to end users. STP shall be suitably located nearest to back side boundary with shortest out let. Operation and the maintenance cost of the STP shall also be informed along with the compliance of the E-waste and municipal solid waste disposal.
11. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority. A list of beneficiaries with their mobile nos./address should be submitted along with six monthly compliance reports.
12. LEDs should be used in all common areas and corridors. 100% solar lighting is to be provided in the open areas/ stairs cases.
13. Parking guideline as per Development Authority should be followed. Parking for disabled persons should be explored.
14. All entry/exit point should be bell mouth shaped.
15. To discharge excess treated waste water into public drainage system, permission from the competent authority to be taken prior to any discharge.
16. 100 % provision of Rain Water Harvesting is to be made. RWH shall be initially done only from the roof top. RWH from green and other open areas shall be done only after permission from CGWB.
17. An underground Pucca tank for collection/reuse of rain water may be constructed.
18. Height of the stack should be provided based on combined D.G sets capacity and be 6mt higher than the tallest building.
19. Post project monitoring for air, water (surface+ground), Stack noise of D.G. sets, STP to be carried out as CPCB Guidelines.
20. Crèche to be provided during the construction/operation phase.
21. Provision of separate room for senior citizen with proper amenities shall be made.
22. EWS/LIG housing provisions shall be made as per development authority bye-laws.
23. Protection shall be provided on the windows of the high rise flats for security of residents.
24. Unless and until all the environmental issues are sorted out the occupancy will be restricted and would be only allowed after achieving the Permission from the competent authority.
25. The project proponent shall ensure that the project site does not attract/infringe any buffer zone of no activity identified/declared under law.
26. For any extraction of ground water, prior permission from CGWB shall be taken.
27. Sprinkler to be used for curing and quenching and ready mix concrete may be used for construction.
28. Possibilities of use of treated waste water for irrigation purposes should be explored. Drip irrigation should be tried upto extent possible. No fresh water will be used for irrigation purpose.
29. Mobile toilets, safe drinking water facility, sanitation facility and eco friendly fuels etc. Shall be made available to the temporary residents/workers at the project site including the proper treatment and the disposal of the wastes.



This environmental clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in conformation with approved Master Plan for Noida by the competent Authority. In case of violation, it would not be effective and would automatically stand cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearances should be obtained.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 (as amended) and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.



(S. C. Yadav)
Member Secretary, SEIAA, U.P.

Ref. No. Parva/SEAC/2860/2015/DIVY Dated: As above
Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Chief Conservator, Ministry of Environment & Forests, Regional Office (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. Chief Conservator of Forest, Govt. of U.P.
5. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhidi Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
6. District Magistrate, Gautambudh Nagar, U.P.
7. Copy for Web Master/Guard file.

(Dr. A. A. Khan)
Nodal Officer, SEIAA, U.P.,
Directorate of Environment, U.P.

For Three C Properties Pvt. Ltd.


Director Authorized Signatory

प्रपत्र-८

(नियम 7.4(1) देखें)

राजिस्टर प्रमाण - पत्र

श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पंजीयन संख्या:- 01100145.00.2014-15

राज्यीय राजिस्टर प्रमाण-पत्र

स्थापन तिथि 25/02/2015

कार्यालय उप/राज्यक श्रमशुक्ल, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

अवकाश निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजक का विनियमन और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1947 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उपावद्ध में अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए में श्री सी पॉपर्टीज प्रा० लि० को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है :-

- | | |
|--|---|
| 1. उस स्थान का ठेका पता / अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है | : प्लॉट न- एच-१० सेक्टर-९८ नॉएडा |
| 2. नियोजक का नाम और पता जिसमें अवकाश निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है | : pramendra sahel , बी-४८ कैलाश अपार्टमेंट, लाजपतनगर नई दिल्ली |
| 3. स्थापन का नाम और स्थायी पता | : प्लॉट न- एच-१० सेक्टर-९८ नॉएडा , डी-१०६ पंचशील इन्क्लेव नई दिल्ली |
| 4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ अवकाश निर्माण कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किये जाने हैं. | : डेवलपर्स |
| 5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले अवकाश निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या | : 518 |
| 6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की सम्भावित तारीख: | : 02/01/2015 से 31/12/2017 |
| 7. अवकाश निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियाँ | : |

निम्न कार्य के लिए

प्रधान नियोजन का नाम व पता

डेवलपर्स

में श्री सी पॉपर्टीज प्रा० लि०, प्लॉट न- एच-१० सेक्टर-९८ नॉएडा

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया राजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात :-

(क) राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तरणीय होगा,

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में अवकाश निर्माण कर्मकारों की संख्या राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या 10 से अधिक नहीं होगी

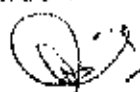
(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के विवाय, राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संदत की गई फीस अग्रतिदेय होगी।

(घ) अवकाश निर्माण संदत कर्मकारों के नियोजक द्वारा संश्लेष मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगी और जहाँ दरे किसी करंट समझौते या पंचायत द्वारा नियत की गयी है वह इस प्रकार निश्चित दरों से कम नहीं होगी।

(ङ) नियोजन अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा :

राजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दास राजदूरी हटारये, बचपन बचरण कार्यालय;



Director/Authorised Signatory

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

संख्या: 1652/2007

दिनांक: 14/11/2007

उत्तर प्रदेश सरकार

रजिस्ट्रीकरी अधिकारी का कार्यालय

एच थमरास, उ०प्र०, जी. 252, सैक्टर - 3 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

कनट्रैक्ट लेबर (रगुलेशन एण्ड एंजलेशन) एक्ट, 1947 की धारा-7 की उपधारा (2) तथा कनट्रैक्ट कामों में नियमों के अधीन, एतथ द्वारा गैरसर्व भूतल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जिसमें निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख है, दिया जाता है।

1. अधिष्ठान में दिए जाने वाले कामों का प्रकार क. (1) इमारत का निर्माण
 2. संविदाकारों का नाम तथा पता (1) श्री. उमेश्वर का 1120000 धारा-10 - 1000/10
(2) श्री. चमनजी 1000 1000
 3. कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हो अथवा सेवायोजित किये जाने वाले क. (1) इमारत का निर्माण
 4. प्रत्येक संविदाकार द्वारा किसी दिन सेवायोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या 518 520
 5. संविदा श्रमिक सेवायोजना के सुसंगत अन्य विशिष्टताएँ क. (1) इमारत का निर्माण
- (अ) ठेकेदारों द्वारा जो कार्य कराया जाएगा वह संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 की धारा-10 के अन्तर्गत निषिद्ध किये जाने योग्य न होगा।
- (ब) यदि ठेकेदारों की संख्या नाग अथवा उनके द्वारा नियोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा। तो प्रतिष्ठान नियम 20 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र का संशोधन करायेगा।
- (स) संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 की धारा-21 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों के सेवायोजक का यह उत्तर दायित्व होगा कि ठेकेदारों, द्वारा सेवायोजित कर्मचारियों को भी उसी दिन वेतन का भुगतान किया जायेगा जब नियमित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाये, और इस सम्बन्ध में 63 से 73 की व्यवस्थाओं का प्रतिपालन होगा। भुगतान के समय प्रतिष्ठान का सेवायोजक सदरत भुगतान अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति में करायेगा जो ऐसा ही प्रमाण पत्र भुगतान रजिस्टर में अंकित करेगा।
- (द) नियम 82 (2) में निर्धारित प्रपत्र-25 में वर्ष में एक बार वार्षिक निवेदनी भी भेजेगा।

रजिस्ट्रीकरी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
14/11/2007

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory



Sub-Regional Office
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
C 22/12, Sector 57, Noida-201301

C-11 Regd. with a.d.

Dated : 11/07/2017

To
M/s. Three C Properties Pvt. Ltd.
H-10, SECTOR - 98
NEAR EXPRESSWAY, NOIDA
NOIDA, 201301

Sub : Implementation of the E.S.I. act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 1(3)/1(5) of the ESI Act, as amended.

Dear Sir(s).

1. It is informed that under section 1(3) of the ESI Act, 1948 is applicable to all factories covered under the Act within the area where your factory is situated.
2. It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishments under Section 1(5) of the Act in this area.
3. Under Section 2 A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Chapter IV thereof casts a responsibility on the principal employer thereof to get his employees registered and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.
4. On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you/ on the basis of the report of the inspection conducted by the Social Security Officer, who inspected your establishment on -NA-, your establishment falls within the purview of Section 1(5) of the Act with effect from 01/04/2017. In case, however, subsequent facts reveal that your establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provisions of the Act from such earlier date.
5. It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting declaration forms online, payment of contribution, maintenance of records etc. from the date of coverage of your factory/establishment under the act.
6. You are also requested to submit employer's registration form (form 01) on line, as required under the provisions of sec.2-A of the ESI Act, 1948 read with regulation 10-D of the ESI(General), Regulations, 1950 (only in case your Code No. is allotted as a result of Survey by a Social Security Officer of ESI Corporation).
7. For the sake of convenience your factory/establishment has been allotted code No **67000638840000999** which may kindly be used in all communications sent to this office and on all forms at the place indicated for the purpose. The Branch Office of the Corporation situated at **NOIDA-II, Branch Office, ESI Corporation, G-118** Se has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme you are requested to contact the Manager of the above Branch Office who will render necessary help in the matter.

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorized Signatory

8. A State wise list of ESI Dispensaries is available on our website www.esi.co.in under the link Directories which can be downloaded. It is requested that publicity may be given about the Employees' State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their E.S.I. Dispensaries

9. The Corporation officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948 and I am confident of prompt and timely compliance under the provisions of the ESI Act and Regulations on your part.

10. All the Branches of State Bank of India are authorized to accept the ESI Contribution.

11. The brochures/leaflets containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc are available on our website www.esi.co.in under the link Publications which may be downloaded for wide publicity for the smooth functioning of the Scheme

12. Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay

13. This is a computer generated letter and does not require any signature.

Yours faithfully,

Asst./Dy. Director

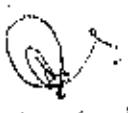
Encl. : As state above

Copy for information and necessary action to:

Name of the principal employer : Akhil Aggarwal

Nr. of employees : 12

ENSURE - TO ENSURE ALL ELIGIBLE WORKERS WITH ESI FOR TOTAL SOCIAL SECURITY

For and on behalf of the Director

Asst./Dy. Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(A statutory Body under the Ministry of Labour and Employment, Government of India)

www.epfindia.gov.in

PROVIDENT FUND CODE NUMBER INTIMATION LETTER

Validity of this letter is of three wage months from date of issue. Based on remittance, inspection and submission of all documents, certificate of coverage will be made available in Unified Portal's Establishment Login.

No : 9999968513NOI

Date : 19/04/2017

To,

AKHIL AGGARWAL
DIRECTOR
THREE C PROPERTIES PRIVATE LIMITED
H-10 SECTOR - 98 NEAR EXPRESSWAY, NOIDA
NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR
UTTAR PRADESH - 201304

Sub: Allotment of Code Number to establishment M/s THREE C PROPERTIES PRIVATE LIMITED under Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952-regarding.

Sir/Madam,

Based on the information submitted online by you, your establishment is registered with Employees' Provident Fund Organisation with the following code number :

Code Number : MRNOI1584672000

This code number is allotted based on the following declarations by you:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Name of Establishment | : THREE C PROPERTIES PRIVATE LIMITED | | |
| 2. PAN of Establishment | : AADCT5315R | | |
| 3. Date on which employment strength crossed 19 | : - | | |
| 4. Section under which covered | : 0000001(4) | | |
| 5. Primary Activity | : OTHERS | | |
| 6. Ownership Type | : PRIVATE LIMITED COMPANIES | | |
| 7. The address proof of the establishment is | : <table border="1"><tr><td>- Copy of power connection in the name of the establishment</td></tr><tr><td>- Any license/certificate/number issued by any Govt. authority</td></tr></table> | - Copy of power connection in the name of the establishment | - Any license/certificate/number issued by any Govt. authority |
| - Copy of power connection in the name of the establishment | | | |
| - Any license/certificate/number issued by any Govt. authority | | | |

Application Number : 9999968613

Page 1 of 2

Code Number : MRNOI1584672000

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory

8. The proof of date of set up 14/07/2010 is Commencement of business by the Registrar of Companies

9. As at the time of application, your establishment is having the following licenses and registrations.

S.No.	License Under	License Number	Date	Issued By	Place of Issue
25871	Sales Tax Act	09788818691	22/07/2011	DEPARTMENT OF COMMERCIAL TAXES, UTTAR PRADESH	GHAZIABAD

10. As on date of your application, your establishment is not registered with ESIC

11. As on date of your application, your establishment is not having LIN.

SUB REGIONAL OFFICE

NOIDA

H - 10 SECTOR - 98 NEAR EXPRESSWAY, NOIDA 201304

sushil.kumar@lotusgreens.in

Please note that this intimation letter is generated with the Owners' Details in Form 5A and the intimated letter will be valid only if the Form 5A is enclosed.

Important information:

1. By virtue of the sections 1(3)(a) and 1(3)(b) of the Act, it applies on an establishment on its own volition and you as an employer, are required to comply with the provisions of the Act accordingly. The obligations/duties/responsibilities cast upon you as an employer of this establishment and penalties, on account of non-compliance with the same, are explained on our website www.epfindia.gov.in. You are required to go through them carefully.

2. Remittance of dues under the provisions of the Act is to be made only through a Challan generated through the Unified portal. (The process for registration on the portal, preparation of the ECR txt file and related information is available on the website and the portal).

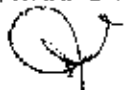
3. In case this letter is produced as a proof of the code number of the establishment, before any person including any Inspector from EPFO, the Form 5A generated through the portal at the time of registration should be a part of this letter. The remittance details of the establishment will be available on the EPFO website through the link "Establishment Search" where from December 2016 onwards, all payments with the names of employees are available on the link in cases of remittances made after uploading the ECR.

4. Please quote the Code Number MRNOI1584672000 for all the future correspondence with EPFO.

This is a system generated letter and needs no signature.

Employees' Provident Fund Organisation

Dated: 19/04/2017





S/67833/2009,
Registration in India under
societies registration act
XXI of 1860

Plot No. 10
Institutional Area
Vasant Kunj, New Delhi
India - 110 070

1. This is to confirm that "Lotus Isle" is registered for GRiHA rating with GRiHA Council.
2. The GRiHA registration number for this project is 15GR0009, which needs to be mentioned for all future correspondence.
3. The provisional and final GRiHA rating is subject to the project meeting GRiHA requirements.
4. We are providing the project team with a high resolution GRiHA logo. This logo may please be used in the signage or hoardings to be provided at the site of work. This will help propagate GRiHA as well as demonstrate your commitment for environmentally sustainable projects. Please use the link (<http://www.grihaindia.org/applies/GRiHA.jpg>) to download the logo. Please ensure that the GRiHA logo* is used only for the registered GRiHA project and is not misused in anyway

*Disclaimer notes:

- The GRiHA logo is a copyright of GRiHA Council.
- The formatting and the usage of GRiHA logo has to be approved by GRiHA Council before being used in any document.
- The minimum size of logo to be used on site shall be A3.
- The ratio of length to width should be always the same, irrespective of the size of the logo.

For GRiHA Council

Authorized Signatory
Authorized Signatory

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorized Signatory

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University established under Indian Law)

Faculty of Engineering and Technology

Machine Building Block, Jamia Millia, New Delhi-110025
Tel: +91(0)11-26581171 to 26581174 Fax: +91(0)11-26581175 Email: jmi@jmi.ac.in

Department of Civil Engineering

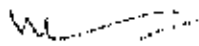


Reference No. 2015/919

Date: 15.04.2015

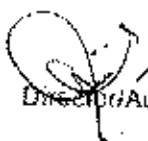
Report on Verifying of Design

It is verified that the submitted Drawing and Structural Design for Res. Tower A (Basement+Stilt+31 Floors), Res. Tower B (Basement+Stilt+31 Floors), Res. Tower C (Basement+Stilt+31 Floors), Office Tower - I (Basement+Stilt+25 Floors), Office Tower - II (Basement+Stilt+25 Floors) & Club Building (First/Podium) of proposed Lotus Isle Project as per the area given in annexure-A, of M/S Three C Properties Pvt. Ltd. at Plot No. H-10, Sector-98, Noida (U.P.) have been checked and found to be conforming to the requirements of relevant codes of practice as per the latest Indian Standards and National Building Codes. All the stipulated combination of Gravity Loads and Lateral Loads (Earthquake/Wind) have been considered and duly incorporated in the analysis and design. The design is carried out as per the provisions of IS:1893 and ductile detailing has been followed as per provisions of IS:13920. The Structural Drawings have been checked both for design as well as detailing and found to be satisfactory and hence approved.


Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. Khalid Moin
Professor
Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering and Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory

Annexure - 1

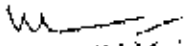
Lotus Isle Project for Three C Properties Pvt. Ltd. at Lotus Isle Plot No. H-16, Sector-98, Noida (U.P)

Area Detail :

Total Plot Area	= 24,000.00 sqm.
FAR Area	= 112,404.128 sqm.
Services Area (15% of FAR)	= 12,305.754 sqm.
Services Floor	= 889.771 sqm.
Stilt / Podium 01 Floor Area	= 12,338.467 sqm.
1st/Podium-2 Floor Area	= 992.039 sqm.
1st To 5th Floor MLCF	= 23,641.032 sqm.
Basement 01 Area	= 20,195.116 sqm.
Basement 02 Area	= 19,782.695 sqm.
Total Built-up Area	= 202,549.002 sqm.

Area of Blocks (FAR + NON FAR):

Resi. Tower 'A'	= 16,474.503 sqm.
Resi. Tower 'B'	= 15,904.612 sqm.
Resi. Tower 'C'	= 16,532.806 sqm.
Office Tower - 'D'	= 33,545.968 sqm.
Office Tower - 'E'	= 40,801.313 sqm.
Club	= 1,400.680 sqm.


Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. Khalid Moin
Professor
Department of Computer Science
Faculty of Engineering & Technology
Al-Farooq Engineering College
Gurgaon, Haryana

Director/Authorised Signatory

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट
सेक्टर-19 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या-7388 / एसओटीओ-सीओएसओ/2015
दिनांक: 21 जनवरी, 2015

प्रबन्धक/स्वाक्षी

M/s Three C Properties Pvt. Ltd.

C-23, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110048

विषय :-NOC for Swimming pools at Plot No. H-10, Sector-98, Noida.

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्लॉट नं० एच-10, सेक्टर-98, नोएडा में स्वीमिंग पूल एरिया $12.98 \times 17.54 + 5.70 \times 4.315 = 122.465$ Sqmt (Adult Pool Size= $12.98 \times 7.54 = 97.87$ Sqmt., Kids pool size= $5.7 \times 4.315 = 24.595$ Sqmt., $9.715 \times 7.90 = 74.81$ Sqmt.) बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है। उक्त के संबंध में शं० कीड़ाधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या/पत्र दिनांक 20.12.2014 के क्रम में प्रस्तावित स्थान पर निम्न व्यवस्थाएँ कराये जाने की शर्तों के आधार पर स्वीमिंग पूल के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

शर्त :-

1. पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. पूल पर वाटर ड्रीटमेन्ट प्लान्ट का होना अनिवार्य है।
3. स्वीमिंग पूल की क्षमता के अनुपात दो फिल्टर प्लान्ट होना अनिवार्य है।
4. स्वीमिंग पूल की डैक की टाइल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
5. पानी निकासी का उचित प्रबन्ध होना चाहिये।
6. स्वीमिंग पूल के अन्दर की टाइल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
7. स्वीमिंग पूल बनाते समय स्वीमिंग पूल की गहराई अवश्य अंकित करें कि गहराई 08 फिट से अधिक न हो।
8. स्वीमिंग पूल के अन्दर जाने के लिये एक ही दरवाजा होना चाहिये।
9. स्वीमिंग पूल के चारों ओर की ऊँचाई कम से कम 05 फिट होनी चाहिये।
10. क्षमता के अनुपात दो फिल्टर प्लान्ट होना अनिवार्य है।
11. समय-समय पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीमिंग पूल के निर्माण से सम्बन्धित हैं, अतः स्वीमिंग पूल का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त उसके संचालन के लिये अलग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के संचालन किये जाने की वशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(के०पी०सिंह)

नगर मजिस्ट्रेट

गौतमबुद्धनगर।

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory